

मांग संख्या 23  
मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 1

न्यायालयीन प्रकरण में डिक्रीधन के भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से ₹400.00 लाख अग्रिम स्वीकृति किया गया है।

अतः आकस्मिकता निधि से लिये गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति हेतु ₹ 4,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।